

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1972/भाद्र 6, 1894

No. 194] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1972/BHADRA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th August 1972

No. 65((11)Ins.III/1/72.—By their Resolution No. 65(11)Ins.III/1/72, dated 8th May, 1972 Government have constituted a Committee to evolve uniform pay scales and service conditions for the employees of the General Insurance Companies whose management has been taken over pending nationalisation, as also to integrate the services of these employees.

2. The Committee as constituted by the said Resolution consists of the following:—

Chairman

1. Shri K. P. Mathrani, ICS(Retd).

Member

2. Shri C. S. Anantapadmanabhan, Controller of Insurance.

Member Secretary

3. Shri B. G. Idnani.

3. In modification of the above, Government hereby reconstitute the Committee as follows:—

Chairman

1. Shri K. P. Mathrani, ICS (Retd.).

Members

2. Shri G. C. Katoch, Joint Secretary, Ministry of Finance (Expenditure).

3. Shri C. S. Anantapadmanabhan (Officer on Special Duty), Ministry of Finance (Revenue and Insurance).

Member Secretary

4. Shri B. G. Idnani.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. R. YARDI, Secy.

वित्त मंत्रालय**राजस्व और बीमा विभाग****संकल्प**

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1972

सं० 65(11)बीमा III/1/72 —सरकार ने जिन विविध बीमा कंपनियों का प्रबन्ध, उनका राष्ट्रीयकरण किये जाने तक, अपने हाथ में ले लिया है, उन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए एक रूप वेतन—मान और सेवा शर्तें तैयार करने के लिए, और साथ ही इन कर्मचारियों की सेवाओं का एकीकरण करने के लिए सरकार ने, अपने 8 मई, 1972 के संकल्प सं० 65(11) बीमा III/1/71 द्वारा एक समिति गठित की है।

2. उक्त संकल्प द्वारा समिति का गठन निम्नलिखित से किया गया था:—

- | | | |
|---|----------------|-------------|
| 1. श्री के० पी० मथरानी, आई०सी० एस० | (सेवा-निवृत्त) | —अध्यक्ष |
| 2. श्री सी० एस० अनन्तपद्मनाभन्, बीमा नियंत्रक | | —सदस्य |
| 3. श्री बी० जी० इडनानी | | —सदस्य सचिव |

3. उपर्युक्त गठन का सशोधन करते हुए, सरकार एतद्द्वारा उक्त समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करती है:—

- | | | |
|---|----------------|-------------|
| 1. श्री के० पी० मथरानी, आई० सी० एस० | (सेवा-निवृत्त) | — अध्यक्ष |
| 2. श्री जी० सी० कटोच, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय) | | — सदस्य |
| 3. श्री सी० एस० अनन्तपद्मनाभन् (विशेष कार्य अधिकारी) | | |
| वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) | | —सदस्य |
| 4. श्री बी० जी० इडनानी | | —सदस्य सचिव |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाय तथा ग्राम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

मधुकर यादवी, सचिव ।

